

पश्चिम मध्य रेलवे

कार्यालय

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I)
द्वितीय तल, डी0आर0एम0 ऑफिस
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

पत्र क्रमांक :- डिप्टी डी ओ/700

दिनांक: 15/05/2018

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति
जिला - सिंगरौली (म0प्र0)

विषय:- कटनी - सिंगरौली रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना के निर्माण कार्य में होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अधिनियम 2006 के नियम - 2008 के तहत जिला स्तरीय समिती से सहमति प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कटनी - सिंगरौली रेल लाईन दोहरीकरण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सिंगरौली जिले के कुछ भाग पर वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के अन्तर्गत किया जाना है। वन भूमि निम्नानुसार है:-

जिला	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	ग्राम पंचायत	कक्ष क्र.	प्रभावित रकवा (हे.में)	प्रभावित कुल रकवा (हे.में)
सिंगरौली	सिंगरौली	वरगवाँ	पचौर	PF-244	0.90	0.90

अतः निवेदन है कि उक्त वन भूमि में विस्थापित होने वाली आदिम जाती जनजाति के संबंध में वन अधिकार अधिनियम -2008 में तहत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। ताकि विषयांतर्गत परियोजना हेतु वांछित वन भूमि की व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए परियोजना कार्य को अविलंब पूर्ण किया जा सके।

संलग्न:- ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

पृ.क्र0.

प्रतिलिपि :-

16.5.18
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

दिनांक

7. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सिंगरौली की ओर सादर सुचनार्थ।
8. आयुक्त महोदय, आदिवासी विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य अभियंता (निर्माण-I), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर को सादर सुचनार्थ।

15/5
उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर